समेकित बाल संरक्षण योजना के अंग/अवयव

- संस्थागत देखभाल
- गैर-संस्थागत देखभाल
- बाल ट्रैकिंग सिस्टम
- आपातकालीन आउटरीच सेवाएं

बच्चों के अधिकार

- जीवन रक्षा अधिकार
- विकास और शिक्षा का अधिकार
- संरक्षण का अधिकार
- भागीदारी के अधिकार

समेकित बाल संरक्षण हेतु संपर्क करें:

चाइल्ड लाइनः 1098

पुलिसः 100

Draft

बच्चे के अधिकार के साथ, उनके सम्मान की बात

समेकित बाल संरक्षण योजना हर बेसहारा बच्चों को सहारा दे, जगाए उम्मीद की एक नई किरण।

unicef | for every child

समेकित बाल संरक्षण योजना के बारे में

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना है, जिसके लक्ष्य देश के बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। यह एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है और इस योजना से बेसहारा, भिखारियों और यौनकर्मियों के बच्चों, मलिन बस्तियों तथा अन्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाया जा सकता है।

समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य

समेकित बाल संरक्षण योजना ''बाल अधिकारों की रक्षा'' और ''बच्चे के सर्वोत्तम हित'' के आधारभूत सिद्धांतों पर तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, संशोधित अधिनियम, 2016 और उसमें दी गई नियमावली पर आधारित है।

इस योजना अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र तक के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान कर उनकी सहायता की जाती है। योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न प्रकार के 128 गृह संचालित हैं। इन गृहों में बच्चों के लिए पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

इस योजना का लक्ष्य

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के लक्ष्य इस प्रकार हैं-

- बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच और उनकी बेहतर गुणवत्ता।
- बाल अधिकारियों की वास्तविकता, भारत में उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता।
- बाल संरक्षण के स्पष्ट दायित्व और जवाबदेही की बाध्यता।
- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को वैधानिक और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर संस्थापित संरचना।
- साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन।

योजना प्राप्त करने वाले लाभार्थी

- विधि विवादित बच्चे
- निराश्रित बच्चे
- बेसहारा बच्चे
- गुमशुदा बच्चे
- भीख मांगने वाले बच्चे
- सड़क पर निवास करने वाले बच्चे
- सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे
- देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे